

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, गवालियर

रु १२८- पृ ५७

प्र. क्र. ११२०१७ निगरानी

१ जितेन्द्र जैन पुत्र श्री सुआलाल जैन

२ श्रीमति नीना जैन पत्नी जितेन्द्र जैन
निवासीगण - खारा कुओं टेकरी
शिवपुरी म० प्र० द्वारा मुख्यारआम
शिखरचंद्र जैन पुत्र सुआलाल जैन
निवासी खारा कुआ टेकरी शिवपुरी

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- १ म० प्र० शासन द्वारा अधीक्षक
भू अभिलेख शिवपुरी
- २ मांगीलाल पुत्र भगवानसिंह
- ३ राम सिंह पुत्र गोपाल सिंह राठौर
निवासीगण लल्लापुरा मुरैना
- ४ श्रीमति रजनी पत्नी अवधेश किरार
निवासी कोट रोड शिवपुरी
- ५ श्रीमति सरबदी पत्नी रामकुमार वर्मा
निवासी राठौर जिला शिवपुरी
- ६ फोदी पुत्र चतुरा निवासी
पोहरी जिला शिवपुरी

.....रेस्पॉडेटस

03-10-17

दिनांक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक कर्माकार आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उच्चायपद्धति अधिवक्ताओं को प्रकरण की ग्राहकता के बिंदु पर सुना गया। यह निभानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क. 157 / 13-14 / स. ३० निपात में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के विळङ्घ प्रस्तुति की गई है।

2. आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि 10 वर्ष उपरांत भूमि का विकाय किए जाने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल के कुछ न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है यह भी कहा गया कि वे सूतीय केता हैं इस बिंदु पर अपर कलेक्टर ने विचार नहीं किया है।

3/ अनावेदक शासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है, जिसका अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के किया गया है, इस कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर जो आदेश पारित किया है वह उचित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा उद्दरित न्यायदृष्टांत राजस्व मंडल के हैं जबकि अपर कलेक्टर ने जो न्यायदृष्टांत उद्दरित किये हैं वे माननीय उच्च न्यायालय के हैं। उनके द्वारा निभानी अग्राह्य किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विहान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विकाय के संबंध में है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह पाया है

.....रेस्पॉर्टेस

कि आधारित भूमि शासकीय या जिसका विकाप पट्टेदारी थारा निम्न स्तर
प्राधिकारी की पूर्वानुमति के अवधि को लो किया गया है। सहिता की धारा
105-7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के
विकाप नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ धारा
न्यायदृष्टान्त 2002 आरप्नो 250 में यह अधिनिधारित किया गया है कि
भू-जागरूक संहिता 1059 (प्र०ग) 158(3) तथा 165(7) (ख) — धारा 150 (3)
भू-जागरूक संहिता 1059 (प्र०ग) 158(3) तथा 165(7) (ख) — धारा 150 (3)
के अधीन भूमि का अतश्च — धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अधीन
है अर्थात् कलेक्टर की अनुमा आवापक है। यदि अनुमति के बिना विकाप
है अर्थात् कलेक्टर की अनुमा आवापक है। यदि अनुमति के बिना विकाप
है अर्थात् समस्त संघर्षहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है।
न्यायदृष्टान्त 2009 आरप्नो 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उद्दर
निर्णय पर आधारित है में यह अधिनिधारित किया गया है कि धारा 165 (7)
(ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई। 10 वर्ष
उपरांत पट्टेदार भूमिस्थानी स्वतं प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण
जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। यदि
अनुमति के बिना विकाप किया भी गया, वह समस्त संघर्षहार प्रारंभ से ही
शून्य एवं अकृत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टान्त को दृष्टिगत
रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर को जो
आदेश है उसमें हस्तांक का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी
ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ
न्यायालयों को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

प्रशा. सदस्य